गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक : 286 सेक्टर: ती० दिनांक : 21-2-19

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मेसर्स राम अन्नपूर्णा प्रसाद वगैरह
शाहमारूफ,
गोरखपुर।

आपके पत्र दिनांक 06/10/17 मानचित्र सं0 1463/2017 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित 0219511195 भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी शाहमारूफ भूखण्ड/भवन सं0 0036T, 0037-8, 0038 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। 0039-R9340

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनिय 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डीनीय हैं
4. उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निमार्ण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ0 प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 25 पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के साथ एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे या खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हो।
12. बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानचित्र उ0 प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्ते का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपत-पथ 05/12/17 का पालन करना होगा

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

21.2.19

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर